

न्यायालय उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर जिला हनुमानगढ
पीठासीन अधिकारी का नाम :- सुश्री श्वेता कोचर (आर0ए0एस0)
मिसल न0- 09/2018

अनवान :-

1. सहीराम पुत्र रामलाल जाति छिम्पा साकिन भूकरका तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

-प्रार्थी/सायल

बनाम्

1. ओमप्रकाश पुत्र बागाराम जाति जाट साकिन भूकरका तहसील नोहर।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

-अप्रार्थी/गैरसायल

प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 251-(क) राज0
काश्तकारी अधिनियम सन् 1955

उपस्थित :- श्री महेशचन्द्र शर्मा, अभिभाषक, प्रार्थी
श्री विजयसिंह अधिवक्ता अप्रार्थी

निर्णय दिनांक : 23/09/2021

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया की प्रार्थी की रोहीह मौजा चक 6 आरपीएम के प0न0 394/400(89) के किला न0 4 ता 7 ,14 ता 17 प0न0 395/400(88) के किला न0 9 ,10 ,11 ,20 कुल 11.014 बीघा भूमि जरिये बैयनामा खरिदशुद्धा बतौर खातेदार काश्तकार राजस्व में दर्ज है।


गैरसायल की भूमि रोही मौजा चक 6 आरपीएम के खाता संख्या 15/36 के प0न0 295/400(88) के किला न0 21 ,22 ,23 व प0न0 294/400(89) के किला न0 24-25 कुल 1.088हैक् भूमि गैरसायल के नाम बतौर खातेदार काश्तकार राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।

प्रार्थी को अपनी खातेदारी भूमि में जाने के लिये कोई स्वीकृत /सुविधाजनक रास्ता नहीं है गैरसायल की खातेदारी भूमि के प0न0 294/400(89)के किला न0 25 में उत्तर दक्षिण से होते हुए सायल अपनी खातेदारी भूमि में प्रवेश कर सकता है यही रास्ता मन्जुर शुद्धा रास्ता से सायल की भूमि में जाने के लिये सुविधाजनक एवं उपयुक्त है किन्तु यह रास्ता राजस्व रिकार्ड में स्वीकृत नहीं है सायल उक्त रास्ता स्वीकार करवाकर राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाना चाहता है तथा रास्ते के बदले में भूमि या बाजार मुल्य जो भी गैरसायल चाहेगा देने के लिये तैयार है

सायल ने गैरसायल को कई मर्तबा कहा की उक्त रास्ता राजस्व रिकार्ड में स्वीकार करवा ले तो कुछ दिनों तक तो आज कल आज कल करता रहा अन्त में इन्कार हो गया इसलिये यह प्रार्थना पत्र पेश किया गया है।

अतः सायल का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर रोही मौजा चक 6 आरपीएम के प0न0 294/400(89)के किला न0 25 में उत्तर दक्षिण एक बिश्वा स्वीकार किया जाकर राजस्व रिकार्ड में अंकन करने के आदेश फरमावे।

सायला का प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर तहसीलदार से मौका रिपोर्ट एवं गैरसायल को जरिये नोटिस तलब किया गया गैरसायल जरिये अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित आकर सायल के प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को अस्वीकार करते हुए जबाब पेश किया की सायल ने बिना किसी आधार के प्राथना पत्र पेश किया है सायल ने जब जमीन खरीद की थी तभी से लिखमण तेजा मूल खातेदार के खेत में से आज भी रास्ता चालू है तथा 35 सालों से सायल यही से आवागमन करता है जो सुविधाजनक है सायल ने अपने प्रार्थना पत्र में कही दर्ज नहीं किया की खेत गांव के किस तरफ है तथा वहा गांव से चलकर किन किन किला नम्बर से होकर अपने खेत में प्रवेश करता है सायल मूल खातेदार के खेत में से आवागमन कर रहा है सायल का प्रार्थना पत्र धारा 251ए के


उपखण्डाधिकारी
नोहर

किसी भी प्रावधान को पूर्ण नहीं करता है सायल जहाँ से रास्ता चाहता है वहा पर गैरसायल का मकान बना हुआ है जहाँ परिवार सहित रहता है सायल अन्य सहखातेदारों से रास्ता प्राप्त कर सकता है सायल ने अन्य सहकाशतकार से सहमति से विभाजन की डिक्री पेश की है सायल विभाजन के समय भी रास्ता मांग सकता था सायल का प्रार्थना पत्र अस्पष्ट है सायल ने अन्य मुरब्बो का नक्शा पेश नहीं किया जो तर्क कानुन सम्मत नहीं है केवल गैरसायल को परेशान करने की नियत से पेश किया गया है सायल का प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे गैरसायल का जबाब शामिल मिसल किया गया तहसीलदार से मौका रिपोर्ट प्राप्त हो चुकी है उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

सायल के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की प्रार्थी की रोहीह मौजा चक 6 आरपीएम के प0न0 394/400(89) के किला न0 4 ता 7 ,14 ता 17 प0न0 395/400(88) के किला न0 9 ,10 ,11 ,20 कुल 11.014 बीघा भूमि जरिये बैयनामा खरिदशुद्धा बतौर खातेदार काशतकार राजस्व में दर्ज है।

गैरसायल की भूमि रोही मौजा चक 6 आरपीएम के खाता संख्या 15/36 के प0न0 295/400(88) के किला न0 21 ,22 ,23 व प0न0 294/400(89) के किला न0 24-25 कुल 1.088हैव भूमि गैरसायल के नाम बतौर खातेदार काशतकार राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।


प्रार्थी को अपनी खातेदारी भूमि में जाने के लिये कोई स्वीकृत /सुविधाजनक रास्ता नहीं है गैरसायल की खातेदारी भूमि के प0न0 294/400(89)के किला न0 25 में उत्तर दक्षिण से होते हुए सायल अपनी खातेदारी भूमि में प्रवेश कर सकता है यही रास्ता मन्जुर शुद्धा रास्ता से सायल की भूमि में जाने के लिये सुविधाजनक एवं उपयुक्त है किन्तु यह रास्ता राजस्व रिकार्ड में स्वीकृत नहीं है सायल उक्त रास्ता स्वीकार करवाकर राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाना चाहता है तथा रास्ते के बदले में भूमि या बाजार मुल्य जो भी गैरसायल चाहेगा देने के लिये तैयार है

अतः सायल का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर रोही मौजा चक 6 आरपीएम के प0न0 294/400(89)के किला न0 25 में उत्तर दक्षिण एक बिश्वा स्वीकार किया जाकर राजस्व रिकार्ड में अंकन करने के आदेश फरमावे।

गैरसायल के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने जबाब प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया सायल ने बिना किसी आधार के प्राथना पत्र पेश किया है सायल ने जब जमीन खरीद की थी तभी से लिच्छमण तेजा मूल खातेदार के खेत में से आज भी रास्ता चालू है तथा 35 सालों से सायल यही से आवागमन करता है जो सुविधाजनक है सायल ने अपने प्रार्थना पत्र में कही दर्ज नहीं किया की खेत गांव के किस तरफ है तथा वहा गांव से चलकर किन किन किला नम्बर से होकर अपने खेत में प्रवेश करता है सायल मूल खातेदार के खेत में से आवागमन कर रहा है सायल का प्रार्थना पत्र धारा 251ए के किसी भी प्रावधान को पूर्ण नहीं करता है सायल जहाँ से रास्ता चाहता है वहा पर गैरसायल का मकान बना हुआ है जहाँ परिवार सहित रहता है सायल अन्य सहखातेदारों से रास्ता प्राप्त कर सकता है सायल ने अन्य सहकाशतकार से सहमति से विभाजन की डिक्री पेश की है सायल विभाजन के समय भी रास्ता मांग सकता था सायल का प्रार्थना पत्र अस्पष्ट है सायल ने अन्य मुरब्बो का नक्शा पेश नहीं किया जो तर्क कानुन सम्मत नहीं है केवल गैरसायल को परेशान करने की नियत से पेश किया गया है सायल का प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे।

हमने उभयपक्षों की बहस सुनी पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार सायला एवं गैरसायल एक दुसरे के खेत पडोसी है। सायल के कथनानुसार सायल को उसकी खातेदारी भूमि में जाने के लिये स्वीकृतशुद्धा रास्ता नहीं है जिसे स्वीकार करवाना चाहता है।

गैरसायल का कथन है उसके (सायल) द्वारा भूमि खरीद की हुई है विक्रेता के पास भूमि और है जिससे रास्ता की मांग करनी चाहिये गैरसायल का कथन न्यायोचित नहीं है किसी भी खातेदार काशतकार को उसकी भूमि में आवागमन करने के लिये छोटा एवं सुविधाजनक रास्ता दिया जाना चाहिये गैरसायल के द्वारा बताया गया रास्ता अधिक दुरी पर है।


उपखण्ड अधिकारी

बोहर

.2

तहसीलदार नोहर के द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट के अनुसार सायल को उसकी खातेदारी भूमि में जाने के लिये स्वीकृत शुद्धा रास्ता नहीं है तथा सायल के द्वारा चाहा गया रास्ता उपयुक्त एवं सही है।


तहसीलदार नोहर के द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट एवं नजरीय नक्शा के अनुसार चक सीमा 6 बरानी पर स्वीकृत शुद्धा रास्ता है जहाँ से गैरसायल के किला न0 25 में से होकर सायल अपने खेत में प्रवेश कर सकता है जो सबसे सुविधाजनक एवं छोटा रास्ता है यही रास्ता है।

गैरसायल का कथन है कि किला न0 25 में उसका मकान एवं कुण्ड बनी हुई है जहाँ से रास्ता नहीं दिया जा सकता है न्यायोचित नहीं है मुताबिक नजरी नक्शा गैरसायल के किला न0 25 में कुण्ड बनी है तो कुण्ड सम्पूर्ण किले में नहीं है सायल को अपनी खातेदारी भूमि में जाने के लिये रास्ता चाहीये गैरसायल की किला न0 25 में कुण्ड नजरी नक्शा के अनुसार जहाँ पर बनी है उसकी दुसरी दिशा में सायल को रास्ता दिया जा सकता है जिससे गैरसायल की कुण्ड को भी किसी प्रकार का नुकसान नहीं होगा और सायल को उसकी खातेदारी भूमि में जाने के लिये रास्ता भी उपलब्ध हो जावेगा।

किसी भी खातेदार काश्तकार को उसकी भूमि में जाने के लिये रास्ता दिया जाना न्यायाचित है तहसीलदार नोहर के द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट /नजरी नक्शा को उसकी खातेदारी भूमि में जाने के लिये रास्ता नहीं है जो गैरसायल के किला न0 25 में दिया जाना न्यायाचित है।

तहसीलदार नोहर की मौका रिपोर्ट/नजरी नक्शा के अनुसार सायल का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य होने के कारण स्वीकार किया जाकर रोही मौजा चक 6 आरपीएम के किला न0 25 में उत्तर से दक्षिण की ओर किला न0 24 के चिपते हुए एक गठठा रास्ता स्वीकार किया जाता है तथा रास्ता में गैरसायल की जितनी भूमि आती है उसके बदले में सायल गैरसायल को डीएलसी दर की दुगनी राशि अदा करेगा। स्वीकृत किये गये रास्ते में गैरसायल की एक बिस्वा भूमि आती है। रास्ते की भूमि में आने वाली भूमि की डीएलसी दर (8,31,000/- प्रति हैक्टर) अर्थात एक बिस्वा भूमि की किमत (10512/-रु है जिसकी दुगनी दर से कुल रास्ते में आने वाली एक बिस्वा की दुगनी कीमत (21024/रु) है जिसका ड्राफ्ट तहसील कार्यालय नोहर में जमा करवाने के उपरान्त ही राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे। तहसीलदार नोहर को निर्देशित किया जाता है कि सायल से रास्ते में आने वाली भूमि की किमत रु (21024/-रु) का ड्राफ्ट प्राप्त किया जाकर नियमानुसार गैरसायल को भुगतान किया जावे इसी आशय का आदेश जारी किया जावे। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 23/09/2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।


उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
नोहर (भूमि प्रशासन)
नोहर

न्यायालय उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर जिला हनुमानगढ

क्रमांक : राजस्व / 2020 /

दिनांक

तहसीलदार,
नोहर

विषय :- स्वीकृत रास्ता का राजस्व रिकार्ड में अंकन करने के सम्बन्ध
में प्रार्थना-पत्र सं० 09 सन 2018 निर्णय दिनांक

अनवान :-

अनवान :-

1. सहीराम पुत्र रामलाल जाति छिम्पा साकिन भूकरका तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।


-प्रार्थी / सायल

बनाम्

1. ओमप्रकाश पुत्र बागाराम जाति जाट साकिन भूकरका तहसील नोहर।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

-अप्रार्थीगण

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रार्थना-पत्र स्वीकार कर आदेश दिया गया है कि जाकर रोही मौजा चक 6 आरपीएम के किला न० 25 में उत्तर से दक्षिण की ओर किला न० 24 के चिपते हुए एक गठठा रास्ता स्वीकार किया जाता है तथा रास्ता में गैरसायल की जितनी भूमि आती है उसके बदले में सायल गैरसायल को डीएलसी दर की दुगनी राशि अदा करेगा। स्वीकृत किये गये रास्ते में गैरसायल की एक बिस्वा भूमि आती है। रास्ते की भूमि में आने वाली भूमि की डीएलसी दर (8,31,000/- प्रति हैक्टर) अर्थात् एक बिस्वा भूमि की किमत (10512/-रु है जिसकी दुगनी दर से कुल रास्ते में आने वाली एक बिस्वा की दुगनी कीमत (21024/रु) है जिसका ड्राफ्ट तहसील कार्यालय नोहर में जमा करवाने के उपरान्त ही राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया जाकर पालना रिपोर्ट तुरन्त प्रस्तुत करे।


सहायक कलक्टर एवं
उपखण्डाधिकारी
नोहर